संख्या- 35 /2019/1045 /46-1-19-1000(12)/2019

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2019

विषयः- जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में **अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति)** के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए आयोजनागत पक्ष में बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-कै/183/सी./विकास/जिला योजना, दिनांक 10-07-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित धनराशि रू. 260.00 लाख (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) को, **संलग्नक** में यथा उल्लिखित जनपदवार/ कार्यक्रमवार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में यथा- नियम उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में बजट का प्रावधान/आवंटन किया गया है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

2. जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम- 10में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 20-2019 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित लाभार्थियों को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2020) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

7. गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

8. योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

9. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित व्यय की जायगी आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

11. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र02015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-35 /2019/1045(1)/46-1-19-1000(12)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।
12. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

13. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
14. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या- 35 /2019/ 1045/46-1-19-1000(12)/2019, का संलग्नक दिनांक 26 जुलाई, 2019

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	अभिजनक बीज यातायात कर्येक्रम	आधार बीज यातायात कार्यक्रम	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम	बायोफर्टिलाईज र/वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम	वानिकी कार्यक्रम हेतु	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	151500	387500	5100	21301	186000	171600	144600	5338	1072939
2	मुजफ्फरनगर	288000	679000	3000	35000	471925	343000	184800	17030	2021755
3	शामली	111348	303094	1985	15590	85575	127900	75000	3636	724128
योग मण्डल		550848	1369594	10085	71891	743500	642500	404400	26004	3818822
4	मेरठ	200000	511900	6510	28000	228500	222000	170400	6890	1374200
5	बागपत	73750	87500	375	8925	40000	36000	42000	0	288550
6	गाजियाबाद	31000	77986	1020	4340	35000	33750	25800	0	208896
7	हापुड़	43500	103875	1215	6090	42500	39000	33000	0	269180
8	बुलन्दशहर	90000	230025	3000	12600	105000	101250	78000	3100	622975
योग मण्डल		438250	1011286	12120	59955	451000	432000	349200	9990	2763801
9	मुरादाबाद	80000	215200	2400	11200	109500	105600	96000	0	619900
10	रामपुर	50000	130000	1725	7000	65000	54600	45000	1800	355125
11	अमरोहा	114050	291200	3690	15960	131000	126750	97800	0	780450
12	बिजनौर	229000	895125	9225	32060	403500	387750	299400	0	2256060
13	सम्भल	73750	161275	2040	10325	72500	69900	54000	0	443790
योग मण्डल		546800	1692800	19080	76545	781500	744600	592200	1800	4455325
14	बरेली	154450	386425	4200	19572	145500	163950	108600	0	982697
15	बदायूं	20000	99750	525	2800	41500	16500	31800	1069	213944
16	पीलीभीत	144350	368850	4695	20195	166500	160050	123000	0	987640
17	शाहजहांपुर	134800	344500	4380	18865	155500	149400	114600	0	922045
18	कासगंज	9100	23150	255	1274	10450	9000	7200	339	60768
19	अलीगढ	17250	50075	435	1800	55000	17550	16200	0	158310
योग मण्डल		479950	1272750	14490	64506	574450	516450	401400	1408	3325404
20	लखीमपुर खीरी	474450	1212475	15435	66395	547044	526050	404400	0	3246249
21	सीतापुर	279750	714875	9090	39144	322500	310200	238200	0	1913759
22	रायबरेली	5000	12850	135	637	17500	4950	10000	260	51332
23	फरूर्खाबाद	16400	41925	525	2296	18500	18150	13800	564	112160
24	हरदोई	75750	178000	1305	10500	57000	79950	45000	2248	449753
25	कानपुर	2000	7820	0	280	8000	3000	6000	0	27100
योग मण्डल		853350	2167945	26490	119252	970544	942300	717400	3072	5800353
26	अयोध्या	55000	137500	1800	7700	65000	60000	48000	0	375000
27	सुल्तानपुर	15800	40250	465	2205	23760	15750	8800	612	107642
28	बाराबंकी	16000	43200	495	2240	18500	16950	13000	552	110937
29	जौनपुर	4800	12250	150	672	5500	5250	4200	165	32987
30	गाजीपुर	3150	6300	195	441	10500	3750	12600	221	37157
31	वाराणसी	4600	11825	150	672	5500	5550	3600	159	32056
32	अम्बेडकरनगर	33500	87500	1050	4690	37500	37200	24000	0	225440
योग मण्डल		132850	338825	4305	18620	166260	144450	114200	1709	921219
33	गोण्डा	117800	301000	3750	16492	135500	130500	100200	4027	809269

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

34	बलरामपुर	145550	366875	21315	20125	165500	159150	122400	4950	1005865
35	बहराईच	112400	287200	3645	15722	129500	124500	88800	3865	765632
योग मण्डल		375750	955075	28710	52339	430500	414150	311400	12842	2580766
36	गोरखपुर	6000	15000	120	840	16000	4350	7200	0	49510
37	बस्ती	93500	227550	1725	13090	72500	110250	72000	2953	593568
38	महराजगंज	21000	47250	735	2660	39000	29850	28800	966	170261
39	सिद्धार्थनगर	4000	2000	60	266	2250	2100	1500	0	12176
योग मण्डल		124500	291800	2640	16856	129750	146550	109500	3919	825515
40	कुशीनगर	136700	322000	2000	19200	144540	162000	148700	4700	939840
41	देवरिया	13000	40000	390	1995	49000	19000	43000	500	166885
42	मऊ	15750	40425	510	2205	15000	12000	9000	475	95365
43	बलिया	5500	15000	180	720	7500	6000	3600	190	38690
44	आजमगढ	47500	142500	2000	5000	40000	10000	20000	1015	268015
योग मण्डल		218450	559925	5080	29120	256040	209000	224300	6880	1508795
सम्पूर्ण योग		3720748	9660000	123000	509084	4503544	4192000	3224000	67624	26000000

(रू. दो करोड़ साठ लाख मात्र)

नोटः& जनपद शामली] हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी] मुजफ्फरनगर] गाजियाबाद] मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है